

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी/
भूमि संरक्षण अधिकारी,
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1

लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर 2011

विषय—समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत भारत सरकार से अप्रैस्ड एण्ड क्लीयर्ड परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाना ।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा निर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तथा समय समय पर जारी निर्देशों के क्रम में परियोजना लागत की 6 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त स्वीकृत परियोजनाओं की तकनीकी रूप से परिपूर्ण एवं उच्च गुणवत्ता युक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्र/राज्य सरकार के उपकरणों/संस्थाओं के माध्यम से तैयार किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में भारत सरकार से अप्रैस्ड एण्ड क्लीयर्ड बुन्देलखण्ड तथा नान बुन्देलखण्ड जनपदों की आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संबंधित पीआईए द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से तकनीकी सहयोग से स्थलीय सर्वेक्षण, नियोजन तथा पी0आर0ए0 एक्सरसाइज के आधार पर तैयार की जायेगी ।

क्रम सं0	संस्था का नाम
1.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर ।
2.	नरेन्द्रदेवकृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयकुमारगंज, फैजाबाद ।
3.	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ ।
4.	वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ।
5.	नैनी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनी, इलाहाबाद ।
6.	उत्तर प्रदेश जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान, वाल्मी भवन, उत्तरेटिया, लखनऊ ।
7.	केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अनुसंधान केन्द्र छलेसर आगरा ।
8	उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद ऑठवा तल मण्डी भवन गोमती नगर, लखनऊ ।
9	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, इन्दौराबाग, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।
10	नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, ग्वालियर रोड झॉसी ।

la-1.

56

61/DS
25/11/11

مکھ

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवस्त्रीय,
(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1169 (1)/54-1-11/8(11)/2011-तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— कृषि उत्पादन आयुक्त, अध्यक्ष, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन।
- 2— समस्त जिलाधिकारी, (जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, काशीराम नगर, को छोड़कर,) उत्तर प्रदेश।
- 3— आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश परियोजना, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 4— अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, 117/एच-2/ 193 पाण्डुनगर, कानपुर।
- 5— कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि भवन, लखनऊ।
- 6— कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
- 7— कुलपति नरेन्द्रदेवकृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद।
- 8— कुलपति सरदार वल्लभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।
- 9— कुलपति वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी।
- 10— कुलपति नैनी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनी, इलाहाबाद।
- 11— प्रौ0/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान, बाल्मी भवन, उत्तरेटिया, लखनऊ।
- 12— निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अनुसंधान केन्द्र छलेसर आगरा।
- 13— निदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, ऑठवा तल मण्डी भवन गोमती नगर, लखनऊ।
- 14— महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, इन्दौराबाग, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
- 15— निदेशक, नेशनल रिसर्च सेन्टर फार एग्रो फारेस्ट्री, ग्वालियर रोड झासी।
- 16— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 17— प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर (आईडब्ल्यूएमपी) 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 18— गार्ड फाइल।
- 19— संभुनवक्षिप्त कृषि।

आज्ञा से,
(रमेश मिश्र)
विशेष सचिव / सी0ई0ओ0
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी।